न्यायाधिकारी–ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी	–	सतीश फानिन (आर.जे.एस.)
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	–	325/2021
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या	–	232/2021
सी०एन०आर० नंबर	–	RJJH140005752021
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	276/2021, मुकुंदगढ़

राजस्थान राज्य **बनाम** **कुलदीप**

अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री जगदीश प्रसाद
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	कुलदीप कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी गुगन की ढाणी तन कंकडेउ, पुलिस थाना मलसीसर, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री अशोक कुमार जांगिड़
अधिवक्ता परिवादी	-----

B

अपराध की दिनांक	21.11.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	21.11.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	24.12.2021
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	24.12.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	04.03.2022
निर्णय दिनांक	09.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	--------

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि को हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	कुलदीप कुमार	-----	----	279, 337, 338, 304ए भा.द.स.	दोषमुक्त	----	----

भाग–द्वितीय
अभियोजन साक्षियों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.डब्ल्यू 1	राजेंद्र	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 2	जगदीश प्रसाद	परिवादी
पी.डब्ल्यू 3	डॉ. मुकेश कुमार	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 4	विक्रम सिंह	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 5	डॉ. सत्यवीर सिंह	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
पी.डब्ल्यू 6	सकेंद्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 7	डॉ. प्रमोद कुमार	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 8	डॉ. प्रवीण कुमार	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 9	महेश कुमार यादव	रेडियोग्राफर
पी.डब्ल्यू 10	शैलेंद्र	रेडियोग्राफर
पी.डब्ल्यू 11	युसूफ अली देवड़ा	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 12	नवाब खां	पुलिस गवाह

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
01	प्रदर्श पी.01	फर्द निरीक्षण वाहन बस नंबर आरजे 18 पीबी 3551
02	प्रदर्श पी.02	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट राजेंद्र
03	प्रदर्श पी.03	तहरीर रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी.04	चाक एफआईआर

05	प्रदर्श पी.05	नक्शा मौका घटनास्थल
06	प्रदर्श पी.06	फर्द पंचायतनामा लाश शांति देवी
07	प्रदर्श पी.07	रसीद सुपुर्दगी लाश शांति देवी
08	प्रदर्श पी.08	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट सत्यवीर सिंह नेहरा
08	प्रदर्श पी.08	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र महेंद्र **(सहवन से समान प्रदर्श डले)**
09	प्रदर्श पी.09	फर्द जप्ती वाहन बोलेरो नंबर आरजे एचआर 61 सी 8140
10	प्रदर्श पी.09 से 11	एक्सरे रिपोर्ट महेंद्र **(सहवन से समान प्रदर्श डले)**
11	प्रदर्श पी.10	फर्द जप्ती मूल कागजात
12	प्रदर्श पी.10 व 11	एक्सरे रिपोर्ट महेंद्र **(सहवन से समान प्रदर्श डले)**
13	प्रदर्श पी.11	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट कुलदीप
14	प्रदर्श पी.12	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट राजपाल सिंह
15	प्रदर्श पी.13	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट बस नंबर आरजे 18 पीबी 3551 व वाहन नंबर आरजे एचआर 61 सी 8140
16	प्रदर्श पी.14	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका शांति देवी
17	प्रदर्श पी.15	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र महेश कुमार
18	प्रदर्श पी.16 से 20	एक्सरे रिपोर्ट महेश कुमार
19	प्रदर्श पी.21	महेश के इलाज संबंधी कागजात

प्रतिरक्षा

प्रदर्श का क्रम	**प्रदर्श संख्या**	**प्रदर्श का विवरण**
01	प्रदर्श डी.01	बयान धारा 161 सीआरपीसी राजेंद्र

न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	**प्रदर्श संख्या**	**प्रदर्श का विवरण**
निल		

:: निर्णय :: **दिनांक: 09.07.2026**

01. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 21.11.2021 को परिवादी जगदीश प्रसाद ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि शांति देवी तथा उसका साला महेश कुमार सुबह 04.30 बजे के करीब किराये की हुई एंबुलेंस एचआर 61 सीजी 8140 से गांव खोजास से मंडेला जा रहे थे तो बलरिया और मुकुंदगढ़ के बीच एंबूलेंस ड्राईवर ने लापरवाही से चलाकर सामने से आ रही गायत्री ट्रेवल्स राजगढ़ आरजे 18 पीबी 3551 में टक्कर मार दी जिससे शांति देवी व महेश को राजकीय अस्पताल नवलगढ़ में भर्ती करवाया गया

तो उसके साले को सीकर रैफर कर दिया और उसकी सास को अस्पताल आते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, इत्यादि.......।" उक्त आशय की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गई। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. बहस आरोप सुनी जाकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 व 03 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04. अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उसके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

05. दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित हाने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजायाब किये जाने का निवेदन किया।

06. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

01– आया अभियुक्त ने दिनांक 21.11.2021 को समय सुबह करीब 04.30 बजे बलरिया और मुकुंदगढ़ के बीच वाहन एबूलेंस नंबर एचआर 61 सीजी 8140 को तेजगति, उपेक्षापूर्ण व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापित करते हुए सामने से आ रही बस नंबर आरजे 18 पीबी 3551 को सामने से टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी के साले महेश कुमार को साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई तथा परिवादी की सास शांति देवी की मृत्यु कारित हुई?

02– यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

07. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जावे तो सर्वप्रथम न्यायालय को धारा 279 भा.दं.सं. को प्रमाणित करने हेतु यह देखना है कि क्या अभियुक्त कुलदीप द्वारा वाहन बोलेरो नं. एच.आर. 61 सी.जी. 8140 को चलाया जा रहा था, इसके संबंध में एफ.आई.आर. में यह कथन किये गये हैं कि परिवादी की सास शांति देवी तथा उसका साला महेश कुमार सुबह 04.30 बजे के करीब किराये की हुई एंबुलेंस एचआर 61 सीजी 8140 से गांव खोजास से मंडेला जा रहे थे तो बलरिया और मुकुंदगढ़ के बीच एंबूलेंस ड्राईवर ने लापरवाही से चलाकर सामने से आ रही गायत्री ट्रेवल्स राजगढ़ आरजे 18 पीबी 3551 में टक्कर मार दी। उसके बाद उसकी सास व साले को राजकीय अस्पताल नवलगढ़ में भर्ती करवाया गया तो उसके साले को सीकर रैफर कर दिया और उसकी सास को अस्पताल आते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

08. उक्त विचारणीय बिंदू को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के शिकायतकर्ता जगदीश प्रसाद को गवाह पी०डब्ल्यू–02 के रूप में परीक्षित करवाया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 20.11.2021 को उसका साला महेश अपनी मां को दिखाने के लिए जा रहा था। उसने एंबूलेंस नंबर एच आर 61 8140 को बुलाया। एंबूलेंस करीब साढे चार बजे डूंडलोद फाटक से आगे निकली और बलरिया और मुकुंदगढ़ के बीच से वापस यू टर्न लिया और रोंग साइड लेकर चलने लगी। सामने से प्राईवेट बस आयी जिसने बस को डिवाईडर पर चढा दिया। एंबूलेस वाले ने फिर भी उसकी बस को टक्कर मार दी जिससे उसकी सास व साले महेश को गंभीर चोटें आयी। उनको इलाज के लिए नवलगढ़ अस्पताल ले गये जहां उसकी सास को मृत घोषित कर दिया तथा उसके साले को सीकर रैफर कर दिया। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में दर्ज करवायी थी जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने मृतका का फर्द पंचायतनामा पुलिस ने बनाया था जो प्रदर्शपी 06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम उसकी सास की लाश को उसे सुपुर्द कर दिया था जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने इस तथ्य को सही बताया है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 में क्या लिखा हुआ है उसे नहीं पता उसने तो सिर्फ हस्ताक्षर किए थे। उक्त गवाह ने इस

सुझाव को सही बताया है कि वह दुर्घटना के समय उनके साथ नहीं था। वह यह नहीं बता सकता कि एंबूलेंस व बस चालक के बीच में क्या स्थिति थी तथा किस वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा। वह घटनास्थल पर दो–ढाई घंटे के बाद पहुंचा था तब उसने देखा की एंबूलेंस रॉग साइड में थी। उसके जाने से पहले अगर एंबूलेंस का स्थान बदल गया हो तो उसे जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने थाने पर तीन–चार कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे जो किन पर करवाए तथा उनमें क्या–क्या लिखा था उसे पता नहीं है। एंबूलेंस का ड्राईवर मौके पर नहीं मिला था थाने पर मिला था। बस का चालक उसे नहीं मिला। उसे एंबूलेंस चालक का नाम डॉ. मेहरा साहब ने बताया था।

8.1 अभियोजन की ओर से घटना के अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू–01 राजेंद्र को परीक्षित करवाया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि वह बस नंबर आरजे 18 पीबी 3551 को चलाता है जो उदयपुर से राजगढ़ चलती है। दिनांक 21.11.2021 को सुबह करीब 05 बजे की बात है। वह नवलगढ़ की तरफ से झुंझुनूं जा रहा था। उसकी बस अपनी साइड में चल रही थी जब बलरिया और मुकुंदगढ़ के बीच में बस पहुंची तो उसकी बस के सामने रॉग साइड से एक बोलेरो गाड़ी नंबर एचआर 61 सी 8140 का चालक तेज गति व लापरवाही से चलाकर लहराता हुआ लेकर आ रहा था उसने यह देखकर बस को डिवाईडर के उपर चढ़ा दिया। फिर भी उक्त गाड़ी के चालक ने उसकी बस के कंडक्टर सामने टक्कर मारी जिससे उसकी बस क्षतिग्रस्त हो गयी तथा बस के गेट पर खड़के कंडक्टर महेंद्र सिंह के दौनों पैर फैक्चर हो गये। बोलेरो गाड़ी के तीन व्यक्तियों को गंभीर चोटें लगी। उस गाड़ी का चालक वहीं पर था जिसने अपना नाम कुलदीप निवासी गुगन की ढाणी का होना बताया। बोलेरो गाड़ी में बैठी एक औरत की मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना बोलेरो चालक की लापरवाही व गलती से हुई थी। उसके सामने पुलिस ने फर्द निरीक्षण व अस्थाई सुपुर्दगी आरजे 18 पीबी 3551 बनाई थी जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसे इस घटना से संबंधित पुलिस ने धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसका जवाब व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किया है कि उसने गाड़ी को देखकर बस को खड़ी कर दिया था। एक्सीडेंट हुआ तब बस में 35–40 सवारी थी। बोलेरो में कुल 04 सवारी थी उनके नाम वह नहीं जानता। वह केवल कुलदीप का नाम जानता है जो उसे थाने पर बताया गया था। मौके पर उन्होंने न तो नाम पूछा ना ही किसी ने बताया था। यह सही है कि पुलिस ने उसके सामने बोलेरो को जप्त नहीं किया था। बोलेरो गंभीर मरीज को लेकर जा रही हो तो उसे पता नहीं। यह सही है कि बोलेरो ड्राइवर के कोई चोट नहीं लगी थी। यह सही है कि टक्कर भयंकर हुई थी

जिससे दोनों साधन चलने की हालत में नहीं थे। उसके कोई चोट नहीं लगी थी।

8.2 गवाह **पी०डब्ल्यू–03 डॉ. मुकेश कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 23.11.2021 को वह राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुकुंदगढ़ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसने पुलिस प्रतिवेदन पर आहत महेन्द्र सिंह पुत्र पाबुदान सिंह के शरीर पर आई चोटो का चोट प्रतिवेदन तैयार किया। आहत के शरीर पर निम्न चोटें थी–01. बाये पैर की जो पींडली के मध्य से लेकर निचे पैर के अंगुली व अंगुठे के अलावा परे हिस्से में पीओपी बेंडेज लगाई हुई थी। इसमें छेद कर देखने पर एंकल जोइंट के भीतरी और सामने की सतह पर दर्द युक्त सुजन मौजुद थी।
2. दांये पैर की जो पींडली के मध्य से लेकर निचे पैर के अंगुली व अंगुठे के अलावा पूरे हिस्से में पीओपी बेंडेज लगाई हुई थी। इसमें छेद कर देखने पर एंकल जोइंट के भीतरी और सामने की सतह पर दर्द युक्त सुजन मौजुद थी।
दोनो चोटें कुन्द हथियार से कारित थी। उसने दोनों चोटों के लिए एक्सरे की राय दी थी। आहत का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिन्ह व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसकी उपस्थिति व दिशानिर्देशन में आहत महेन्द्र की चोट संख्या 1 व 2 के लिए 23.11.2021 को दो एक्सरे प्लेट तैयार की थी और ये सेलेन्द्र रेडियोग्राफर ने की थी जो प्रदर्श पी 09 व 10 है। बाद एक्सरे प्लेट के अवलोकन के उसने एक्सरे रिपोर्ट तैयार की जो प्रदर्श पी 11 है। जिस पर ए से बी उसकी एक्सरे की रिपोर्ट व चोट के सम्बन्ध में उसकी राय अंकित है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय में आहत की चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की थी और चोट संख्या 2 सामान्य प्रकृति की थी।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह सही है कि आहत महेंद्र का उसने कोई इलाज नहीं किया। यह सही है कि चोट संख्या 01 व 02 बिल्डिंग से गिरने पर आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

8.3 गवाह **पी०डब्ल्यू–04 विक्रम सिंह** अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि उसने सामने पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने मृतका शांति देवी का फर्द पंचनामा भी तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 07 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि नक्शे मौके पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किए थे। वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उसके सामने पुलिस ने घटना के कोई आलामात जप्त नहीं किए। यह सही है कि प्रदर्श 06 07 उसके हस्ताक्षर पुलिस थाने पर करवाए थे।

8.4 गवाह **पी०डब्ल्यू–05 डॉ. सत्यवीर सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि उसके पास एक बोलेरो एंबूलेंस है जिसका वह रजिस्टर्ड मालिक है। उक्त एंबूलेंस से दिनांक 21.11.2021 को बलरिया–मुकुंदगढ़ रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। उसके संबंध में पुलिस ने धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी 08 है। बरवक्त घटना एंबूलेंस का चालक कुलदीप था।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किए हैं कि बरवक्त घटना वह एंबूलेंस में नहीं था। इसलिए वह नहीं बता सकता कि घटना के समय एंबूलेंस कुलदीप चला रहा था या कोई और चला रहा था। उसे इस बात का पता नहीं है कि एंबूलेंस को कौन किराये पर लेकर गया था।

8.5 गवाह **पी०डब्ल्यू–06 सकेंद्र सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 21.11.2021 को पुलिस थाना मुकुन्दगढ में एएसआई के जगदीश प्रसाद ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट दुर्घटना बाबत उसे पेश की। जिस पर मुकदमा नम्बर 276/21 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए आईपीसी में दर्ज कर स्वयं मशरूफ तफतीश हुआ। टाईपशदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी परिवादी के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है. जिस पर ए से बी परिवादी के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मैंने घटना स्थल पर जाकर मौत बिरान के समक्ष नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी सी से डी, ई से एफ गवाहों के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। आई से जे पुस्त पर हालात मौका अंकित है व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मैंने बयान गवाहन राजेन्द्र, महेश कुमार, जगदीश प्रसाद, बबीता, इन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, राजपाल सिंह के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। दुर्घटनाकारित वाहन बोलेरो एम्बुलेंस नम्बर एच आर 61 सी 8140 को जरिये फर्द जप्त किया गया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 09 है व उक्त वाहन के असल कागजात, आरसी, इश्योरेंश व डीएल चालक कुलदीप का भी उसके द्वारा जप्त किया गया था तथा जिनकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 10 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा बस नम्बर आर जे 18 पी बी 3551 का फर्द निरीक्षण व अस्थाई सुपुर्दगी तैयार की जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाह के तथा जी से एच

उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटना कारित वाहन बोलेरो एम्बूलेंस नम्बर एच आर 61 ती 8140 के आरसी मालिक सत्यवीर सिंह को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दकर जवाब प्राप्त किया गया, जो प्रदर्श पी 08 है, जिस पर ए से बी उसका जवाब व सी से डी सत्यवीर सिंह के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जवाब में उसने वक्त घटना अपने वाहन पर कुलदीप को चालक होना बताया। चालक कुलदीप को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया जो प्रदर्श वी 11 है। उसने अपने जवाब में स्वयं को चालक होना बताया। दुर्घटनाग्रस्त बस नम्बर आर जे 18 पी बी 3551 के आरसी मालिक राजपाल सिंह को को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया जो प्रदर्श पी 02 है। जवाब में उसने वक्त घटना अपने वाहन पर राजेन्द्र को चालक होना बताया। चालक राजेन्द्र को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया जो प्रदर्श पी 02 है, बोलेरो एम्बुलेंस नम्बर एच आर 61 सी 8140 व दर्घटनाग्रस्त बस नम्बर आर जे उसने अपने जवाब में स्वयं को चालक होना बताया। दुर्घटनाकारित मुआयाना रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी 18 पी बी 3551 का मैकेनिकल मुआयाना नवाब खाँ एमटीओ से करवाकर मैकेनिकल फर्द पंचायतनामा तैयार करवाकर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 06 है दोनों वाहन की रिपोर्ट तथा सी से डी उसके के हस्ताक्षर है। मृतका शांति देवी की रसीद सुपुर्दगी लाश तैयार करवाकर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 07 है। आहत महेश कुमार का चोट प्रतिवेदन एक्स–रे प्लेट व एक्स–रे रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। आहत महेन्द्र सिंह का चोट प्रतिवेदन एक्स–रे प्लेट व एक्स–रे रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। आहत के एस के अस्पताल शामिल पत्रावली किया। सम्पूर्ण तफतीश उसने अभियुक्त कुलदीप के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 304 ए आईपीसी का अपराध पूर्णतः प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी। जिन्होंने उक्त धाराओं आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि जगदीश प्रसाद मौके पर नहीं था। उसने दिनांक 21.11.2021 को रिपोर्ट पेश की थी। उसने घटनास्थल पर कोई आलामात नहीं लिए और ना ही अंकित किए। प्रदर्श पी–05 में बिंदू पी पर टूटे शीशे दिखाए हैं जिनकी फोटोग्राफी स्वयं के मोबाईल से की थी। उन्हें किसी से प्रमाणित नहीं करवाया ना ही साक्ष्य के रूप में शामिल किया। जब नक्शा मौका बनाया गया तब दोनों वाहन मौके पर नहीं थे। उसने बस के कागज भी जप्त नहीं किए। कुलदीप मौके पर नहीं था बाद में थाने पर उपस्थित हुआ था। एंबूलेंस चलाते हुए कुलदीप को मौके पर किसी ने नहीं पकड़ा।

8.6 गवाह **पी०डब्ल्यू–07 डॉ. प्रमोद कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए

हैं कि दिनांक 21.11.2021 को वह राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने पुलिस प्रतिवेदन पर मृतका शांति देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी जो प्रदर्श पी 14 है जिसपर ए से बी उसकी मृत्यु के संबंध में राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह सही है कि किसी उंची इमारत से कठोर धरातल में गिरने पड़ने से चोट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

8.7 गवाह **पी०डब्ल्यू–08 डॉ. प्रवीण कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 15.12.2021 को वह राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने पुलिस प्रतिवेदन पर महेश कुमार का चोट प्रतिवेदन तैयार किया। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिहन व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। आहत के शरीर पर निम्न चोटें थीः–

1. बांय आखें के उपर 6.8 गुणा 0.6 सेमी हिलीग स्कार मार्क।

2. बायं आँख के नीचे 2.8 गुणा 0.4 सेमी हिलीग स्कार मार्क।

3. बायं कुल्हे पर टांके 12.2 सेमी।

4. बांय आँख से कम दिखने की शिकायत।

एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी 16 लगायत पी 19 है। बाद एक्स–रे प्लेट्स के अवलोकन उसने एक्स–रे रिपोर्ट तैयार की जो प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी उसकी एक्स–रे की रिपोर्ट व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसने चोट प्रतिवेदन की रिपोर्ट में आहत की चोट संख्या 01 व 03 के लिए ऑर्थोपेडिसन की राय अंकित की थी व चोट संख्या 04 के लिए उसने आई स्पेशिलिस्ट की राय ली थी। दोनों विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने पश्चात उसने चोटों के संबंध में अन्तिम राय दी थी। जिसके अनुसार आहत की चोट संख्या 01 व 4 साधारण प्रकृति की व चोट संख्या 03 गंभीर प्रकृति की थी और चोट संख्या 02 साधारण प्रकृति की थी।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि आहत को उसके पास कौन लेकर आया वह नहीं बता सकता। आहत की पहचान पुलिस वालों ने की थी उसने पहचान बाबत कोइर् दस्तावेज नहीं लिया। उसके द्वारा जारी एक्सरे तहरीर पत्रावली में नहीं है। एक्सरे में सिर पर चोट के निशान नहीं है। एक्सरे देखकर यह नहीं बता सकता कि पैर में डली प्लेट कब की डली हुइ है। चोट संख्या 03 की अवधि सात से नौ दिन के बीच की है। यह सही है कि उक्त चोट में अवधि टांके की अवधि है। चोट कब लगी यह नहीं बता सकता। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी।

8.8 गवाह **पी०डब्ल्यू–09 महेश कुमार यादव** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए

हैं कि दिनांक 17.12.2021 को वह राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने डॉ. प्रवीण कुमार की उपस्थिति में आहत महेश कुमार की चोट संख्या 01 ता 03 के लिए चार एक्सरे प्लेट तैयार की थी जो प्रदर्श पी 16 लगायत 19 है। जिन पर आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि आहत की पहचान उसने स्वयं की थी किसी पुलिस वाले ने आहत की पहचान नहीं की थी।

8.9 गवाह **पी०डब्ल्यू–10 शैलेंद्र** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 23.11.2021 को वह सीएचसी मुकुंदगढ़ में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने डॉ. मुकेश कुमार की उपस्थिति व दिशा–निर्देशन में आहत महेंद्र की चोट संख्या 01 व 02 के लिए एक्सरे प्लेट तैयार की थी जो प्रदर्श पी 09 व पी 10 है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि आहत का एक्सरे उसने ही किया था।

8.10 गवाह **पी०डब्ल्यू–11 डॉ. युसूफ अली देवड़ा** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 21.11.2021 को वह एसके अस्पताल सीकर में यूनिट हैड आरथोपेडिक विभाग के पद पर पदस्थापित था। उस रोज आरटीए में आहत महेश कुमार भर्ती हुआ था जिसके सिर पर और बांय कूल्हे पर डिसलोकेशन था। आहत का इलाज अस्पताल में एक दिन चला था। आहत के इलाज संबंधी दस्तावेज प्रदर्श पी 21 है जो कुल 11 पृष्ठ हैं।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि आहत को भर्ती उसने नहीं किया इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि उसे कौन लेकर आया था। वह पत्रावली देखकर बता सकता है कि उसके द्वारा कोई इलाज किया गया अथवा नहीं।

8.11 गवाह **पी०डब्ल्यू–12 नवाब खां** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 23.11.2021 को वह पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में चालक के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने प्रकरण संख्या 276/2021 में जप्तशुदा वाहन बस नंबर आरजे 18 पीबी 3551 का मैकेनिकल मुआयना किया था। बस का शीशा टूटा हुआ था, फ्रेम मुची हुई थी, सामने का रेडिएटर मुचा हुआ था, कंडक्टर साइड का फाटक टूटा हुआ था तथा कंडक्टर साइड के आगे का मडगार्ड टायर के चिपका हुआ था। बस चलने योग्य नहीं थी। उसी दिन उसने बोलेरो नंबर एचआर 61 सी 8140 का मैकेनिकल मुआयना किया था। बोलेरो के सामने का बंपर से लेकर स्टेयरिंग तक गाड़ी का इंजन व गाड़ी का बोनट टूटी हालत में थे। गाड़ी के सामने का सीसा, फ्रेम टूटी हुई थी सामने की छत अंदर धंसी हुई थी। बोलेरो चलने योग्य नहीं थी। मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 13

है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि मैकेनिकल मुआयना के समय दोनों गाड़ियां थाने में थी जिनको उसने चलाकर नहीं देखा। दोनों गाड़िया चलने योग्य नहीं थी। वाहनों की टेकनिकल खामी की जांच नहीं की। बस के सामने के शीशे की हाइट कितनी होती है उसे पता नहीं। वाहन के आगे के टायर डिवाइडर के टकराने से टूटे या किसी अन्य चीज के टकराने से टूटे उसे पता नहीं। वाहन के टक्कर से कोई कलर एक–दूसरे के लगा हो इस संबंध में कोई जांच नहीं की।

09. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के समग्र विवेचन से न्यायालय के मत में ना तो बोलेरो नं. एच.आर. 61 सी.जी. 8140 से दुर्घटना होना तो प्रमाणित है, परंतु बरवक्त दुर्घटना अभियुक्त कुलदीप द्वारा उक्त बोलेरो नं. एच.आर. 61 सी.जी. 8140 को चलाया जाना अभियोजन पक्ष की ओर से संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। परिवादी, आहत अथवा किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा बरवक्त दुर्घटना वाहन अभियुक्त कुलदीप द्वारा चलाये जाने का कथन नहीं किया है। वास्तव में कथित बोलेरो अभियुक्त कुलदीप द्वारा ही चलायी जा रही थी इस संबंध में एकमात्र गवाह जो यह कथन कर सकता था वह परिवादी का साला महेश कुमार था, परंतु अभियोजन की आ ेरसे महेश कुमार को न्यायालय के समक्ष परीक्षित ही नहीं करवाया गया। महेश कुमार प्रकरण में स्वयं दुर्घटना कारित वाहन एंबूलेंस बोलेरो में सवार था जिससे उक्त गवाह की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो सकता था कि वास्तव में बरवक्त घटना कुलदीप ही वाहन का चालक था। इसके अतिरिक्त चालक अभियुक्त कुलदीप को होने के संबंध में नोटिस अंतर्गत धारा 134 एम.वी.एक्ट प्रदर्श पी–11 तथा नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श पी–08 का प्रश्न है तो धारा 133 तथा धारा 134 एम.वी.एक्ट के नोटिस के साथ ही पत्रावली पर अवस्थित गवाहों के कथनों से भी यह साबित होना आवश्यक है कि बरवक्त घटना अभियुक्त ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक था। उक्त के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **राजस्थान सरकार बनाम कैलाशचंद, क्रिमिनल अपील संख्या 610/2011** में न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि धारा 134 एम.वी.एक्ट के जवाब के साथ अन्य साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को अभियुक्त द्वारा ही चलाया जा रहा हो। धारा 134 एम.वी.एक्ट के जवाब को केवल सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। उक्त मार्गदर्शन में केवल मात्र धारा 134 एम.वी.एक्ट के नोटिस के आधार पर अभियुक्त की उपस्थिति बरवक्त घटना सुनिश्चित नहीं होती है। इसके

अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि घटना के वक्त बोलेरो नं. एच.आर. 61 सी.जी. 8140 का चालक अभियुक्त कुलदीप ही हो।

10. अतः प्रकरण में अभियुक्त कुलदीप की बरवक्त घटना उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती है, जिससे उसके द्वारा वाहन को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाया जाकर मृतका शांति देवी की एक्सीडेंट से मृत्यु कारित होने के तथ्य पर साक्ष्य विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है।

11. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त कुलदीप के विरुद्ध अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 21.11.2021 को समय करीब 04.30 बजे स्थान बलरिया–मुकुंदगढ़ आम रास्ते पर अपने वाहन बोलेरो नं. एच.आर. 61 सी.जी. 8140 को तेजगति, उपेक्षापूर्ण व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापित करते हुए मृतका शांति देवी एवं आहत महेश कुमार का एक्सीडेंट हो गया जिसके परिणामस्वरूप उनके शरीर पर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई एवं दुर्घटना से शांति देवी की मृत्यु कारित हुई। ऐसी स्थिति में **अभियुक्त कुलदीप** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

:: <u>आदेश</u> ::

12. परिणामतः **अभियुक्त कुलदीप कुमार** पुत्र श्री दलीप सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी गुगन की ढाणी तन कंकडेउ, पुलिस थाना मलसीसर, जिला झुंझुनूं, राजस्थान को अपराध अंर्तगत **धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अपनी उपस्थिति बाबत् पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13.1 अभियुक्त को धारा 437ए दं.प्र.सं. के प्रावधानों की पालना में 06 माह की अवधि के लिए प्रभावी 10,000/–रुपये की राशि की जमानत एवं इसी कदर राशि स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक करवाने के आदेश दिये जाते हैं।

13.2 प्रकरण में जप्तशुदा वाहन यदि सुपुर्दगी पर दिया गया हो तो सुपुर्दगीदार के पास ही रहे। वाहन से संबंधित जमानतनामा सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझा जावे तथा अन्य जप्तशुदा वाहन अथवा दस्तावेज नियमानुसार वैध रूप से हकदार व्यक्ति को बाद गुजरने मियाद अपील दिया जावे।

14. निर्णय आज दिनांक **09.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया जाकर मुद्रांकित किया गया। निर्णय की प्रति अविलम्ब सी.आई.एस. पर अपलोड की जावे।

(सतीश फानिन)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय नवलगढ़,
जिला झुंझुनूं, राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.14 16:15:03 IST